संख्या-45/2021/336/71-2-21-के0जी0एम0यू0-39/2017

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मैन पावर डेप्लपमेन्ट स्कीम बी0 कार्यक्रम हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 12453/योजना अनु/2021, दिनांक 15.03.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा मैन पावर डेप्लपमेन्ट स्कीम बी0 कार्यक्रम हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक- टी-21013/15/2009-एन0सी0डी0/पी0एच0-1(बी), दिनांक 08.01.2016 द्वारा के0जी0एम0यू0 हेतु "Release funds under scheme B (strengthening/establishment of post graduate teaching department in mental health specialities) of the manpower development schemes under the National Mental Health Programme" के अंतर्गत धनराशि रू0 72.34 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3- उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-031 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में भारत सरकार के के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के योजनान्तर्गत संचालित मैन पावर डेप्लपमेन्ट स्कीम बी0 कार्यक्रम हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश रू0 72.34 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजटीय व्यवस्था को देखते हुए केन्द्रांश के रूप में रू0 71.00 लाख (रू0 इकहत्तर लाख मात्र) अवमुक्त किए जाने की राज्यपाल महोदय महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- भारत सरकार के पत्र संख्या टी-21013/15/2009-एन0सी0डी0/पी0एच0-1(बी), दिनांक 08.01.2016 में दिए गए निर्देशों तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों/ नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जाएगा।
5- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश दिनांक 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 29.09.2020 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाऐगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

9- चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाऐगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति न हो।

10- योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-031 चिकित्सा विभाग शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी, 03-शिक्षा-0365-राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास (के0-100/रा0-0)-20-

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-470/दस-2021, दिनांक 30.03.2021 में में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-45/2021/336(1)/71-2-21-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/ वित्त नियंत्रक।
6. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: 45
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/31/2021 6:20:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 3/31/2021 6:20:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 3/31/2021 6:20:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 676 (approx.)
Number of Characters: 3,859 (approx.)